सीड एसोसियेशन आफ एम.पी. प्रमुख की उपलब्धियॉ

सीड एसोसियेशन आफ एम.पी. की स्थापना स्व. श्री आर.के.जैन, तत्कालीन प्रबन्ध संचालक , ईगल सीड्स एण्ड बायोटेक लि. ने वर्ष 2005 में की थी। स्थापना से वर्तमान समय तक एसोसियेशन द्वारा कृषकों एवं सदस्य बीज कम्पनियों के वैधानिक हितों की रक्षा एवं प्रदेश का कृषि उत्पादन बढाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कुछ प्रमुख उपलब्धियों का ब्योरा निम्नानुसार है :

1. कृषि विभाग, म.प्र. द्वारा निजी क्षेत्र की बीज कम्पनियों को जिला स्तर से सीड लायसेन्स लेने के अतिरिक्त कृषि संचालनालय, भोपाल से बीज विक्रय की अनुमति लेना होती थी एवं कृषि विभाग द्वारा रिसर्च किस्मो के लिये रु. 50,000 प्रति किस्म की दर से जे.एन.के.वी.वी., जबलपुर में ट्रायल फीस जमा कर ट्रायल डलवाने एवं किस्म के उपयुक्त पाये जोन पर ही विक्रय अनुमति दी जाने का आदेश जारी किया गया था। इसके विरुद्ध एसोसियेशन द्वारा मान. उच्च न्यायालय, इन्दौर में रिट याचिका क्र. 1255/2007 दाया की गई थी। मान. उच्च न्यायालय, इन्दौर ने इस प्रकरण में एसोसियेशन के पक्ष में निर्णय दिया।

2. निजी क्षेत्र की बीज कम्पनियों को बी.टी. काटन हायब्रिड के विक्रय की अनुमति जिनेटिक इंजीनियरिंग एप्रुवल कमेटी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत शासन, नई दिल्ली से प्राप्त होने के बाद भी कृषि विभाग से बीज विक्रय अनुमति प्राप्त करना पड़ती थी। इसके विरुद्ध एसोसियेशन ने मान. उच्च न्यायालय, इन्दौर में रिट याचिका क्र. 7060/2008 दायर की थी । इस प्रकरण में मान. उच्च न्यायालय, इन्दौर से एसोसियेशन के पक्ष में निर्णय दिया।

3. म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था ने एसोसियेशन की सदस्य बीज कम्पनियों एवं अन्य पर वर्ष 2003 से 31–03–2009 की अवधि के लिये बीज प्रमाणीकरण पर रु. 2.88 करोड़ का सर्विस टेक्स लगा बिल जारी कर दिये थे। एसोसियेशन ने इसके विरुद्ध सदस्यो की ओर से मा. उच्च न्यायालय, इन्दौर में रिट याचिकाये क्र. 5247 एवं 5248 /2009 दायर करवाई। मा. उच्च न्यायालय, इन्दौर ने एसोसियेशन के सदस्यों के पक्ष में निर्णय दिया व लगाया गया सर्विस टेक्स निरस्त कर दिया।

4. म.प्र. शासन ने वर्ष 2006 में बीजों पर 4% वेट लगा दिया था। एसोसियेशन का प्रतिनिधि मण्डल भोपाल कई बार गया व शासन द्वारा गठित वेट कमेटी के समक्ष कृषको का पक्ष प्रस्तुत किया गया कि वेट लगाने से बीजों की कीमतों में वृद्धि होगी जो कृषकों के उपर अनावश्यक बोझ साबित होगी। शासन ने बीजों को वेट से मुक्त कर दिया जो आज तक लागू है।

5. इसी प्रकार वाणिज्यिक कर विभाग म.प्र. द्वारा कई सदस्य बीज कम्पनियों पर क्रय व प्रवेश कर लगा दिया था । एसोसियेशन ने वेट कमेटी के स मक्ष कृष कों के हित में पक्ष प्रस्तुत किया कि इस कराधान से बीजों की कीमतों में वृद्धि होगी व कृषकों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा । आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, इन्दौर ने आदेश जारी कर बीजों को क्रय कर प्रवेश कर से मुक्त कर दिया जो आज भी लागू है।

6. कृषि विभाग, म.प्र. ने वर्ष 2004 में आदेश जारी किया था कि निजी क्षेत्र की बीज कम्पनियो द्वारा म.प्र. मे. सत्यरुप बीजों की बिक्री नही की जायेगी । इसके विरुद्ध एसोसियेशन ने शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही क व प्रमुख सचिव, कृषि ने आदेश जारी कर इस अवैधानिक प्रतिबंध को निरस्त कर दिया।

7. कृषकों के हित में बीज उत्पादन कार्यक्रम के पंजीयन हेतु खसरा बी–1 की नकल तहसीलदार द्वारा सत्यापित करने की अनिवार्यता बीज प्रमाणीकरण संस्था से समाप्त करवाई गई व कम्प्यूटर से नेट पर उपलब्ध कृषको की खसरा बी–1 प्रस्तुत करने का आदेश जारी करवाया गया।

8. कृषि विभाग, म.प्र. ने आदेश जारी किया था कि सभी बीज कम्पनियों को म.प्र. के प्रत्येक जिले का सीड लायसेन्स लेना पड़ेगा। इस आदेश के विरुद्ध एसोसियेशन ने मा. उच्च न्यायालय, इन्दौर में रिट याचिका क्र. 4970/2010 दायर की जिस पर मा. उच्च न्यायालय ने एसोसियेशन के पक्ष में स्टे आर्डर दिया है।

9. म.प्र. में काटन सीड एक्ट लागू होने वाला था। म.प्र. शासन ने विधान सभा में अधिनियम पारित कर केन्द्र शासन को भेजा था। एसोसियेशन ने कृषि मंत्रालय, भारत शासन को ज्ञापन भेजा कि वर्ष 2009 में काटन सीड को आवश्यक वस्तु के अन्तर्गत पुनः शामिल कर सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के प्रावधान इस पर लागू कर दिये है, अतः म.प्र. मे अलग से काटन सीड एक्ट की आवश्यकता ही नहीं है। इसे कृषि मंत्रालय ने स्वीकार किया व काटन सीड एक्ट म.प्र. में लागू नही किया गया। इससे बीज कम्पनियों को बहुत राहत मिली है।

10. म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की नई कार्यप्रणाली बनाने हेतु म.प्र. शासन ने एसोसियेशन को सुझाव देने हेतु आमंत्रित किया । एसोसियेशन ने बीज उत्पादक कृषकों/सदस्य कम्पनियों की व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये सुझाव दिये। जिनमें से कई सुझाव मान्य किये गये व नई कार्यप्रणाली में शामिल किये गये है।